न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 121/2019

अनवान :

1. प्रदीपकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. विकासकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. किरण पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
4. प्रियंका पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
5. कृष्णा पत्नी बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
6. एचडीएफसी शाखा अग्रोहा जिला हिसार जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अग्रोहा जिला हिसार।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 07-02-202

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा 6 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 66/70 के मु0नं0 47 के किला नं0 1, 101 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 49 के किला नं0 3/2, 4 ता 7, मु0नं0 50 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12 की 4.428 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 हिन्दू है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के परदादा मामचन्द की हुआ करती थी इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है।

वाद भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था। प्रतिवादी कृष्णा के पास अलग से कोई स्त्रीधन नहीं है तथा ना ही उसके पास अलग से कोई भरण पोषण की राशि है जिसके चलते पारिवारिक सैटलमेंट में वादभूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

चक 6 सीएचएन की उक्त खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 को प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादी बलवन्तसिंह उर्फ बलवान के हिस्सा में चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 की 2.530 है0 में प्रतिवादी सं0 1 बलवान के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की 4.554 है0 में दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में आ गई थी। इसी अनुसार वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 बैंक को वादी वकील ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी प्रदीपकुमार के बयान करवाये गये एंव साक्ष्य वादी मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी चक 6 सीएचएन सम्वत 2074 ता 2077 प्रदर्श 1 व जमाबन्दी सम्वत 2016 प्रदर्श 2 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह के हिस्सा मे चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 की 2.530 हैक्टेयर व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की 4.554 हैक्टैयर भूमि मे अपने नाम दर्ज भूमि हिस्सा मे आई हुई है, इसलिये वादभूमि चक 6 सीएचएन मे स्थित 4.428 हैक्टैयर नहरी खातेदारी जो प्रतिवादी बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिहं के नाम से दर्ज है, वह वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 की बहिस्सा बराबर की खातेदारी कृषि भूमि है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपनी बहस में जबाबदावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 ने मुताबिक पारिवारिक सेटलमेंट वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दिया है तथा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में अन्य कृषि भूमि आई है जिसकी जमाबन्दी संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 6 सीएचएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 6 छानी सम्वत 2016 की प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा सदस्य प्रमाण पत्र में बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वारिसान में पत्नी कृष्णा, दो पुत्र प्रदीपकुमार व विकासकुमार तथा दो पुत्रियां किरण, प्रियंका होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह ने अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के हिस्सा में आ गई थी तथा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में वादभूमि के अलावा अन्य भूमि हिस्सा में आई हुई है। इस प्रकार कृषि भूमि में कुल 5 हिस्सेदार शेष रहते है इसलिए वाद कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं0 1 वादी के दावा का कोई खण्डन पेश नहीं किया है तथा वाद भूमि में अपना हक हिस्सा न दर्शाते हुए अन्य भूमि उसने हिस्सा आना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 सम्वत् 2074 से 77 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140/80 सम्वत् 2072 से 75 पेश की है जिसमें वाद भूमि बलवान वल्द श्योदत के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के खाता सं0 66/70 के मु0नं0 47 किला नं0 1, 10 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 49 किला नं0 3/2, 4 ता 7, मु0नं0 50 किला नं0 1, 2, 9 ता 12 की कुल 4.428 हैक्टैयर नहरी खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह वल्द श्योदत के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी 2 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे तथा ग्राम 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140/80 की की कृषि भूमि प्रतिवादी बलवान वल्द श्योदत के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07-8-202 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 121/2019

अनवान :

1. प्रदीपकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. विकासकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. किरण पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
4. प्रियंका पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
5. कृष्णा पत्नी बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
6. एचडीएफसी शाखा अग्रोहा जिला हिसार जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अग्रोहा जिला हिसार।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के खाता सं0 66/70 के मु0नं0 47 किला नं0 1, 10 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 49 किला नं0 3/2, 4 ता 7, मु0नं0 50 किला नं0 1, 2, 9 ता 12 की कुल 4.428 हैक्टैयर नहरी खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह वल्द श्योदत के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी 2 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा ग्राम 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140/80 की की कृषि भूमि प्रतिवादी बलवान वल्द श्योदत के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सह(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:43:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: